न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

एयू स्माल फाइनेन्स बैंक लि. बनाम योगेन्द्र पारीक व अन्य

प्रकरण संख्या 295/2018 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
27.09.2022	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से काफी समय से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से धारा 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा बंधक संपत्ति के स्वामित्त्व से संबंधित दस्तावेज अधूरे प्रस्तुत किए गए है एवं आदिनांक तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः धारा 14 सरफेशी अधिनियम–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दस्तावेजों के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	